जिला समन्वयक एवं ब्लाक समन्वय के पद पर चयन की प्रकिया व शर्ते :–

01–पूर्व साक्षरता कार्यकम में कार्यरत रहे उत्कृष्ट कर्मी जो निर्धारित मापदण्ड एवं शैक्षिक योग्यता पूर्ण करते हो, प्राथमिकता के आधार पर चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी ।

02–निजी वाहर रखने वाले को वरीयता प्रदान की जायेगी ।

03–भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवानिवृत्त अधिकारी जो निर्धारित योग्यता रखते हो को वरीयता प्रदान की जायेगी ।

04–संविदा की अवधि 11 माह की होगी ।

05–संविदा कर्मी का कार्य सन्तोषजनक होने वाले जिलाधिकारी द्वारा अधिकतम एक वार 11 माह के लिए संविदा बढाई जा सकती है ।

06–चयन में पारदर्शिता तथा सवैधानिक नियमो का पालन किया जायेगा ।

प्रेरक पद पर चयन की प्रकिया व शर्ते :–

01– प्रेरकों का चयन ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा ।

02– प्रेरकों के रिक्त पदों का विवरण सभी विकास खण्ड मुख्यालयों पर ग्राम पंचायतवार चस्पा है रिक्तियॉघट एवं बढ सकती है ।

03– प्रेरकों की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल होगी । उच्च शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जायेगी ।

04– आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है तथा इन कार्यालयों से आवेदन पत्र का प्रारूप भी प्राप्त किया जा सकता है ।

05– आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक अर्हता अनुभव प्रमाण पत्र व प्रमाणित फोटो लगाना अनिवार्य होगा । अपूर्ण आवेदन स्वतः निरस्त माने जायेगे ।

06– पूर्व साक्षरता कार्यकम में कार्यरत रहे उत्कृष्ट कर्मी जो निर्धारित मानपदण्ड/शैक्षिक योग्यता पूर्ण करते हो, को प्राथमिकता के आधार पर चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी ।

07– अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु आवेदन की तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए ।

08– लोक शिक्षा केन्द्रों पर दो प्रेरकों में से एक महिला प्रेरक का चयन अनिवार्य है ।

09– कमजोर वर्गो एवं अन्य ऐसे समुदाय जिन्हें शासन द्वारा विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण प्रदान किया गया है, का चयन अनिवार्य रूप से किया जाये ।

10– प्रेरक सम्बन्धित ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है ।

11– साक्षर भारत मिशन के अर्न्तगत प्रेरकों की अधिकतम सेवा अवधि योजना के संचालित होने तक मान्य होगी ।

12– प्रेरको के चयन हेतु सम्बन्धित ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में निम्न प्रकार से चयन समिति गठित है ।

क	ग्राम प्रधान(सरपंच)	अध्यक्ष
ख	वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय	सदस्य/सचिव
ग	लोक शिक्षा केन्द्र का वरिष्ठ प्रेरक	सह सचिव
घ	50 प्रतिशत महिलाऐं जो ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप चयनित की गयी हो एवं समुदाय से तीन व्यक्ति (अनुसूचित,जनजाति एवं अल्पसंख्यक सदस्यों का समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाये)	सदस्य
च	महिला मण्डल/स्वंय सहायता समूह से एक प्रतिनिधि,लाभार्थी समूह से दो सदस्य एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
छ	ग्राम पंचायत अधिकारी	सदस्य
ज	स्थानीय स्तर पर डाक्टर/शिक्षित ओपीनियन मेकर्स--एक	सदस्य

13–प्रेरकों का चयन ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति के द्वारा किया जायेगा । पदो के सम्बन्ध में जानकारी ग्राम पंचायत की बैठक में दी जायेगी तथा इसकी लिखित सूचना भी ग्राम पंचायत के कार्यालय में चस्पा की जायेगी ।

14–चयनित सूची को लोक शिक्षा समिति की कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रेरकों का मनोनयन जारी किया जायेगा ।

15–प्रेरकों के मनोनयन ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी किया जायेगा ।

16–चयनित संविदा कर्मियों को उन्हें प्रशिक्षण के उपरान्त कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से मानदेय का भुगतान बैक के माध्यम से किया जायेगा ।

17–चयन सम्बन्धी किसी विवाद पर विधिक एवं अन्य कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायित्व जिला लोक शिक्षा समिति का होगा ।

18–संविदा के आधार पर चयनित प्रेरक की सेवायें विना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है ।

19–चयनित प्रेरकों के कार्यो का निरन्तर जिला एवं ब्लाक लोक शिक्षा समिति एवं ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति द्वारा मूल्यॉकन किया जायेगा ।

20–प्रेरक पद हेतु आवेदन पत्र दिनॉक 30–12–2016 की सांय 05 वजे तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत सीमा में संचालित सदस्य/सचिव ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति /वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/प्राथमिक विद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा । ग्राम पंचायत में प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को सदस्य/सचिव प्रधान की अध्यक्षता में गठित उपरोक्त ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति के समः उपलब्ध करायेगा । लोक शिक्षा समिति दिनॉक 01–01–2017 से दिनॉक 02–01–2017 के मध्य अभ्यर्थियों के साक्षात्कार कर प्रेरकों का चयन करेगी चयनित प्रेरकों की सूची व उनके मूल आवेदन पत्र दिनॉक 03–01–2017 तक सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा चयनित प्रेरकों की सूची सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी मुख्यालयों पर दिनॉक 05–01–2017 को चस्पा की जायेगी । दिनॉक 06–01–2017 की सांय 05 बजे तक शिकायतों को सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/सचिव ब्लाक लोक शिक्षा समिति को प्रस्तुत की जा सकती है दिनॉक 06–01–2017 के बाद कोई भी आपत्ति/शिकायत स्वीकार नहीं की जायेगी ।

21–निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त आपत्तियों/शिकायतों की जॉच सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी व ब्लाक समन्वयक की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा किया जायेगा । जॉचापरान्त यह समिति ग्राम मंचायत लोक शिक्षा समिति को दिनॉक 07–01–2016 तक उपलब्ध करायेगी प्रेरकों का मनोनयन पत्र जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी बरेली की अध्यक्षता में गठित लोक शिक्षा समिति की कार्यकारिणी के अनुमोदन के पश्चात सम्बन्धित ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा ।

साक्षर भारत मिशन योजनान्तर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप
(जिला समन्वयक/ब्लाक समन्वयक/प्रेरक)

प्रमाणित फोटो

01–अभ्यर्थी का नाम..
02–आवेदित पद का नाम..
03–जन्म तिथि...
04–लिंग(महिला/पुरूष)..
05–पिता/पति का नाम..
06–स्थायी पता...
(क) ग्राम/मोहल्ला..
(ख) पोस्ट..
(ग) ग्राम पंचायत/नगर पंचायत...
(घ) विकास खण्ड...
(ड) तहसील/कस्बा................................ जनपद..
07–फोन न0 यदि हो तो (मोवा0/बेसिक फोन)...
08–दिनॉक 01 जून–2016 को आयु ।
(क) शब्दों में– बर्ष.................... माह........................... दिन.............................
(ख) अंको में– बर्ष...................... माह.............................. दिन...................................
09–श्रेणी
(1) अनुसूचित जाति... उपजाति..............................
(2) अनुसूचित जन जाति...................................... उपजाति ....
(3) अल्पसंख्यक.......................... पिछडी जाति..
(4)सामान्य... ..अन्य..
10–राष्ट्रीयता..
11–शैक्षिक योग्यता–

परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
हाई स्कूल				
इण्टरमीडिएट				
स्नातक				
परास्नातक				
अन्य				

12–अनुभव (यदि कोई हो)..

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

घोषणा

मै घोषणा करता/करती हूॅ कि आवेदन पत्र में अंकित समस्त प्रविष्टियॉ मेरे द्वारा अक्षरशः सही अंकित की गयी है । मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है । यदि कोई भी तथ्य छिपाया हुआ प्रकाश में आता है तो मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाये तथा मेरे विरूद्ध जो भी विधिक कार्यवाही होगी उसका उत्तरदायित्व स्वंय मेरा होगा ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर